

**कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**


**website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary**

**:कार्यालय आदेश:**

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी(ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984, 18.08.1989 व 02.05.1998 एवं संशोधित आदेश No. F10(4) FD Rules/76 Dated 12 September 2008 एवं संशोधित आदेश No.F6(6) FD/ Rules/2010 Dated 25.04.12 के प्रावधानुसार सामान्य चिकित्सालय अलवर द्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा जिला शिक्षा अधिकारी(मु) माध्य अलवर की अभिशंभा पर गौरव कुमार खण्डेलवाल अध्यापक ले 1, राउप्रावि भांखेड़ा प.स. उमरैण (अलवर) को कार्यालय में पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक **26.11.2019** से Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2012 के अन्तर्गत उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 600/- रुपये (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

गौरव कुमार खण्डेलवाल अध्यापक को यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश दशहरा, दीपावली अवकाश, कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलम्बन अवधि के लिए देय नहीं होगा।

निदेशक की आज्ञा से



उपनिदेशक(पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-4/1051/वि.भत्ता/जयपुर मण्डल/2020/

दिनांक: 22.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मु) प्रारंभिक शिक्षा, अलवर को रजिस्टर्ड डाक से सलग्न मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमरैण जिला अलवर
3. गौरव कुमार खण्डेलवाल अध्यापक ले 1, राउप्रावि भांखेड़ा प.स. उमरैण (अलवर)
4. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक(पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर